

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**-:: कार्यालय आदेश ::-**

का०आ०-१५/बि०स०से०-११-०४/२०२५ सा०प्र०.१५४.../पटना-१५, दिनांक.१४.०३.२६.

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-१९३००, दिनांक-१३.१०.२०२३ एवं अधिसूचना सं०-१८७७५, दिनांक-०४.१०.२०२५ में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक-११.०४.२०१९ से १३.१०.२०२३ के बीच बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिकों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विहित वेतनमान (वितन स्तर-०७) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, २०२३ के अधीन वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान किया जाता है:-


क्र० सं०	उच्चवर्गीय लिपिक का नाम	तत्कालीन विभाग (जिस समय वरीयता निर्धारित की गयी)	तत्कालीन कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (वरीयता सूची २०१८ के अनुसार)	वैचारिक रूप से अनुमान्यता की तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	पुनर्निर्धारित पेंशन के देयता की वास्तविक तिथि
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री अरमनाथ प्रसाद	पथ निर्माण विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	९	३१.०१.२०२२	०४.१०.२०२५
२	श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह	पर्यावरण एवं वन विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	२२	३१.०५.२०१९	०४.१०.२०२५
३	श्री मोहन प्रसाद	वित्त विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	२६	३१.०७.२०२०	०४.१०.२०२५
४	श्री भारत भूषण गुप्ता	मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग)	उच्चवर्गीय लिपिक	३६	३१.१०.२०२०	०४.१०.२०२५
५	श्री सुबोध कुमार सिंह	जल संसाधन विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	४४	३१.०१.२०२१	०४.१०.२०२५
६	श्री रमेश चन्द्र मराण्डी	गृह विभाग (विशेष शाखा)	उच्चवर्गीय लिपिक	४६	३१.१२.२०२१	०४.१०.२०२५
७	श्री मदन मोहन प्रसाद	वित्त विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	४९	३१.०७.२०२०	०४.१०.२०२५
८	श्री शिव गंगा प्रसाद	वित्त विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	५०	३१.०१.२०२१	०४.१०.२०२५
९	श्री बिजेन्द्र कुमार	शिक्षा विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	५९	३१.०१.२०२०	०४.१०.२०२५
१०	श्री विजय कुमार	श्रम संसाधन विभाग	उच्चवर्गीय लिपिक	६२	३१.०१.२०२३	०४.१०.२०२५
११	श्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा	आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	उच्चवर्गीय लिपिक	६६	३१.१२.२०२१	०४.१०.२०२५

12	श्री राम प्रबोध झा	मानव संसाधन विकास विभाग (शिक्षा विभाग)	उच्चवर्गीय लिपिक	76	31.08.2022	04.10.2025
----	--------------------	--	---------------------	----	------------	------------

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिकों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति के समय वेतन का निर्धारण वैचारिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार पेंशन का वैचारिक पुनर्निर्धारण किया जाएगा जिसका वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-04.10.2025 से अनुमान्य होगा।


4. विभागीय अधिसूचना-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पद के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

  
17.03.26  
(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-11-04/2025 सा0प्र0.148..,पटना-15, दिनांक..18..03..26.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/ सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित सेवानिवृत्त उच्चवर्गीय लिपिक/ प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04, 09, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.03.26  
सरकार के अवर सचिव।